भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2304
दिनांक 16.03.2022 को उत्तर देने के लिए

गरीबी रेखा

2304. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री सदाशिव किसान लोखंडे:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुमान लगाने हेतु सरकार द्वारा विद्यमान सरकारी निर्धारित गरीबी रेखा का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में दादरा और नागर हवेली, दमण तथा दीव सहित देश के सभी राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की विद्यमान सरकारी 'गरीबी रेखा' को अद्यतन करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई योजना तैयार की है या करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों/परिवारों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी दादरा और नागर हवेली, दमण तथा दीव सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) पूर्ववर्ती योजना आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया। घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण का नवीनतम डाटा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा वर्ष 2011-12 में कराए गए इसके अपने 68वें दौर में प्रकाशित किया गया।

इस डाटा के आधार पर पूर्ववर्ती योजना आयोग ने मौजूदा तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली को अपनाते हुए वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात एवं गरीबी रेखा का अनुमान लगाया एवं 22 जुलाई, 2013 को जारी प्रेस नोट के माध्यम से प्रकाशित किया। इस प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान 27 करोड़ लगाया गया। गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के मानदंड के रूप में परिभाषित किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए, अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में 816 रु. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1000 रु. शहरी क्षेत्रों के लिए अनुमानित किया गया था। 2011-12 में दादरा और नागर हवेली, दमण तथा दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विवरण **अनुलग्नक** में नीचे दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है जैसा कि सबका साथ, सबका विकास की ओर सरकार की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है और देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार देश में गरीबी घटाने के लिए कई योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित दोनों स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। कुछ स्कीमों का उद्देश्य संसाधन/धन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाना है, जबकि अन्यों का उद्देश्य समर्थकारी अवसंरचनात्मक प्रावधानों का सृजन करना है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी), आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

गरीबी की रेखा से रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत-2011-12

(तेंदुलकर कार्य प्रणाली)

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		कुल	
		लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख में)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख में)	लोगों का प्रतिशत	लोगों की संख्या (लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	10.96	61.80	5.81	16.98	9.20	78.78
2	अरूणाचल प्रदेश	38.93	4.25	20.33	0.66	34.67	4.91
3	असम	33.89	92.06	20.49	9.21	31.98	101.27
4	बिहार	34.06	320.40	31.23	37.75	33.74	358.15
5	छत्तीसगढ़	44.61	88.90	24.75	15.22	39.93	104.11
6	दिल्ली	12.92	0.50	9.84	16.46	9.91	16.96
7	गोवा	6.81	0.37	4.09	0.38	5.09	0.75
8	गुजरात	21.54	75.35	10.14	26.88	16.63	102.23
9	हरियाणा	11.64	19.42	10.28	9.41	11.16	28.83
10	हिमाचल प्रदेश	8.48	5.29	4.33	0.30	8.06	5.59
11	जम्मू और कश्मीर	11.54	10.73	7.20	2.53	10.35	13.27
12	झारखंड	40.84	104.09	24.83	20.24	36.96	124.33
13	कर्नाटक	24.53	92.80	15.25	36.96	20.91	129.76
14	केरल	9.14	15.48	4.97	8.46	7.05	23.95
15	मध्य प्रदेश	35.74	190.95	21.00	43.10	31.65	234.06
16	महाराष्ट्र	24.22	150.56	9.12	47.36	17.35	197.92
17	मणिपुर	38.80	7.45	32.59	2.78	36.89	10.22
18	मेघालय	12.53	3.04	9.26	0.57	11.87	3.61
19	मिजोरम	35.43	1.91	6.36	0.37	20.40	2.27
20	नागालैंड	19.93	2.76	16.48	1.00	18.88	3.76
21	ओडिशा	35.69	126.14	17.29	12.39	32.59	138.53
22	पंजाब	7.66	13.35	9.24	9.82	8.26	23.18
23	राजस्थान	16.05	84.19	10.69	18.73	14.71	102.92
24	सिक्किम	9.85	0.45	3.66	0.06	8.19	0.51
25	तमिलनाडु	15.83	59.23	6.54	23.40	11.28	82.63
26	त्रिपुरा	16.53	4.49	7.42	0.75	14.05	5.24
27	उत्तराखंड	11.62	8.25	10.48	3.35	11.26	11.60
28	उत्तर प्रदेश	30.40	479.35	26.06	118.84	29.43	598.19
29	पश्चिम बंगाल	22.52	141.14	14.66	43.83	19.98	184.98
30	पुदुचेरी	17.06	0.69	6.30	0.55	9.69	1.24
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.57	0.04	0.00	0.00	1.00	0.04
32	चंड़ीगढ़	1.64	0.004	22.31	2.34	21.81	2.35
33	दादरा और नागर हवेली	62.59	1.15	15.38	0.28	39.31	1.43
34	दमण और दीव	0.00	0.00	12.62	0.26	9.86	0.26
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	3.44	0.02	2.77	0.02
	अखिल भारत	**25.70**	**2166.58**	**13.70**	**531.25**	**21.92**	**2697.83**

टिप्पणियां:

1. 1 मार्च 2012 तक की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का प्रयोग गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया गया है (2011 की जनगणना की जनसंख्या बहिर्वेशित)
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का प्रयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है।
3. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया है।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का प्रयोग दादरा और नागर हवेली के लिए किया गया है।
5. गोवा की गरीबी रेखा का प्रयोग दमण एवं दीव के लिए किया गया है।
6. केरल की गरीबी रेखा का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।